निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1932 (श0)

(सं0 पटना 305) पटना, शुक्रवार, 30 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-12/2010/लेज-158—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 21, 2010]

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) में संशोधन करने हेतु अधिनियम।

प्रस्तावनाः – चूँकि, बिहार राज्य में मत्स्य पालन को गति प्रदान करने, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि इसके क्षमता निर्माण को सशक्त किया जाए,

और चूँकि, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर निबन्धित एवं कार्यरत् सहकारी समिति को पुनर्गठित किया जाए,

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–(*i*) यह अधिनियम बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।

(*ii*) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(*iii*) यह उस तिथि से, जो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करते हुए नियत करे, प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा–11 में संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा–(4) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा; यथा –

"परन्तु यह कि बिहार अधिनियम 2, 1997 अथवा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 सहित किसी अन्य अधिनियम अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत गठित नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति या सहकारी समितियों के वर्ग की उपविधि अथवा राज्य सरकार या निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्गत किसी आदेश में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, बिहार अधिनियम 2, 1997 के अधीन निबन्धित प्रखण्ड स्तर की कोई मत्स्यजीवी सहयोग समिति, नियत तिथि के प्रभाव से एक समिति के रूप में पुनर्गठित होगी तथा बिहार अधिनियम–VI, 1935 के अधीन निबन्धित समझी जाएगी।"

30 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0 1-12/2010/लेज-159––बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 21, 2010]

THE BIHAR SELF SUPPORTING CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2010.

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR SELF-SUPPORTING CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1996

[Bihar Act 2 of 1997)

Preamble: - WHEREAS, with a view to accelerate growth of fishery in the State of Bihar and to enhance production, it is necessary to strengthen capacity building,

WHEREAS, with a view to achieve the objective it is necessary to reorganize existing Co-operative Societies which are registered and operating at block level.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty one year of Republic of India as follows:

1. *Short Title, Extent and Commencement*.—(*i*) This Act may be called The Bihar Self-Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2010.

(*ii*) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(*iii*) It shall come into force on such day as the State Government may appoint by publication in official Gazette.

2. *Amendment of Section 11 of the Bihar Act, 2, 1997*—The following proviso shall be added after sub-section (4) of Section 11 of the said Act, 1997 :-

"Provided that notwithstanding anything contrary contained in Bihar Act 2 of 1997, or in any other Act including Bihar Co-operative Societies Act, 1935 or rules framed thereunder or bye-laws of a Co-operative Society or class of Co-operative societies or any order issued by the State

Government or Registrar of Co-operative Societies, any Fishermen Co-operative Society at Block Level registered under Bihar Act 2 of 1997, shall with effect from the appointed day, stand reorganised as one society and shall be deemed to be registered under Bihar Act VI of 1935."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 305-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in